


76

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर



नारायण दास पटेल तनय स्व. छोटेलाल पटेल, निवासी चिरहुला
रीवा, तह. हजूर, जिला-रीवा म.प्र. ----- आवेदक

बनाम

राज्य शासन म.प्र.

----- अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदनपत्र

विस्तृत न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त
महोदय रीवा संभाष रीवा द्वारा राजस्व
अपील प्र.क्र. 416/अपील/99-2000 में पारित
आदेश दि. 19.4.2001

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.
शु-राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

R-1034-J-2001

श्री आर. सुन. पाठ
श्री. डा. दिग्विजय
12-6-2001 को रीवा
में या उद्भव।

12-6-2001
587

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि

राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा नगूल तहसीलदार
रीवा के न्यायालय में ^{आदेश के विरुद्ध} इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि मोहल्ला
चिरहुला रीवा ^{स्थित} आराजी बसरा क्र. 2/9 नया नम्बर 76 रकबा 0.29 स.
के कुल रकबा 498 वर्गफीट पर गेट लगाकर एवं बाउण्ड्री बनाकर अतिक्रमण
किये हैं। नगूल तहसीलदार ^{आवेदन/} (अपीलार्थी) के विस्तृत म.प्र. शु-रा.सं. 1959
की धारा 24B के अंतर्गत प्र.क्र. 155/अ-68 /98-99 पंजीबद्ध करके नोटिस
जारी किया और जबाब एवं साक्ष्य के उपरांत दि. 8.12.99 को उपरोक्त
विवादित रकबा 498 वर्गफीट से अपीलार्थी को बेकमल किये जाने का एवं
150/- अर्शदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश पारित किया। नगूल

Narayan Son

प्रमथ: ..

